जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
171/15
A3/1

अपील सूचना का अधिकार संख्या 171/2015 श्री बली मोहम्मद पुत्र श्री सरदार अली निवासी वार्ड न0 18 मण्डी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ बनाम तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़

31.03.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बली मोहम्मद उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बली मोहम्मद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2015 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

1. जमाबंदी गांव ढुकराना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजियासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0) की वर्तमान (चालू) जमाबंदी खसरा न0 185 में अंकित नामो का विवरण सवरीफा पत्नि सोहनी खं शेरू खान, नेक मोहम्मद पुत्रगण सोहनी खा लालसेन, नेका पुत्रीया सोहनी खां कोम राठ की प्रमाणित कर जमाबन्दी की तीन (3) प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जावे।
2. जमाबंदी गांव ढुकराना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजियासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0) की वर्तमान (चालू) जमाबंदी खसरा न0 186, 188, 189 में अंकित नामो का विवरण सहित प्रमाणित कर जमाबन्दी की तीन (3) प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी श्री बली मोहम्मद ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने पर्याप्त शुल्क के अभाव में सूचना उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई है जबकि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही है सूचना का अधिकार के तहत ही प्रतिलिपि शुल्क वसूल किया जाना चाहिए न कि अन्य नियम या रूल्स या विधि के तहत। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न करवाकर सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया है अतः उसे सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा प्रतिवेदन संख्या 5158 दिनांक 10.12.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी ने भू.अ. जमाबन्दी की नकल चाही थी जिसके लिए अपीलार्थी को लैण्ड रिकार्ड रूल्स के तहत निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतू लिखा गया जो कि अपीलार्थी ने आदिनांक तक संदाय नही की है। भू0 अभिलेख की प्रतिलिपि लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के तहत जारी की जाती है, क्योंकि भूमि कानून संविधान की अनुसूची 9(नो) के तहत निर्मित है और प्रत्यर्थी ने समय पर सूचना भिजवाने का सार्थक प्रयास किया गया है। अपीलार्थी को दिए गए जबाब पत्र की पालना करने पर एवं वांछित शुल्क का संदाय करने पर अविलम्ब प्रतिलिपियां प्रदान कर दी जावेगी।

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने पत्र सं0 4743 दिनांक 06.11.2015 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

171/15
A3/2

1. बिन्दु सं0 01 में ख0न0 185 ग्राम ढुकराना की जमाबन्दी की 3 प्रतियां चाही है। उक्त ख0न0 185 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में आराजी राज दर्ज है। उक्त खाता में 99 खसरा दर्ज है जिसकी लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अनुसार तीन प्रमाणित प्रतियों का शुल्क एक सौ पैंसठ रू. (165/–) निर्धारित है।
2. बिन्दु सं0 2 में आपने ख0 सं0 186, 188, 189 की तीन प्रमाणित प्रतियां चाही है जिसकी नियमानुसार तीस रूपए (30/–) शुल्क निर्धारित है।
अतः उपर्युक्त वांछित शुल्क का नियमानुसार संदाय कर उक्त प्रतियां कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

चूंकि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में लैण्ड रिकार्ड रूल्स के अनुसार बिन्दु सं0 1 की सूचना के लिए 165रूपये व बिन्दु सं0 2 की सूचना के लिए 30रूपये जमा करवाने हेतु निदेशित किया गया है। लैण्ड रिकार्ड रूल एक विशिष्ट नियम है जिसके तहत भू अभिलेख से संबंधित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां जारी करने के लिए फीस निर्धारित है। जिसके संदाय पर ही नकल जारी की जा सकती है। इस प्रकार तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया जबाब सही है। अपीलार्थी उक्तानुसार फीस जमा करवा कर वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपियां तहसीलदार सूरतगढ़ से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर